सं०सं०–17 / एफ 1–02 / 2020 - 1073 (17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शिशिर कुमार मिश्रा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अध्यक्ष,
श्री श्री रामाशीष राय एजुकेशनल ट्रस्ट,
पत्राचार का पता–ई०–109, दक्षिणी श्री कृष्णापुरी,
पो०–जी०पी०ओ०, जिला–पटना, पिन कोड–800001

पटना, दिनांक :– 31 / 12 / 2021

विषय :– राजवंशी रामाशीष कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अरड़ा, हाजीपुर, जिला–वैशाली को डी० फार्म एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, श्री श्री रामशीष राय एजुकेशनल ट्रस्ट, श्री कृष्णापुरी, पटना के पत्रांक–RRCP 16 दिनांक–19.03.2020 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर राजवंशी रामाशीष कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अरड़ा, हाजीपुर, जिला–वैशाली में डी० फार्म एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

इस परिप्रेक्ष्य में संस्थान के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश सं0–1273(17) दिनांक–31.12.2020 द्वारा चार सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था।

जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्था (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निहित प्रावधानों के अधीन राजवंशी रामाशीष कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अरड़ा, हाजीपुर, जिला–वैशाली को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) के विनियमों / मानकों / प्रावधानों के शर्त्ताधीन सत्र–2020–2021 से डी० फार्म पाठ्यक्रम के 60 सीटों एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम के 60 सीटों पर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

31/12/21

(शिशिर कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी